International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at:http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 11,November- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

बाल श्रम के लिए जिम्मेवार कारकों का अध्ययनः देवघर जिला के बालिका बाल श्रमिक के विशेष संदर्भ में

दिगम्बर प्रसाद सिंह

शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, सि0का0मू0 विश्वविद्यालय, दुमका, झारखण्ड

बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है लेकिन विकासशील देशों के लिये यह एक विकट समस्या है। विश्व के कुल बालश्रम का 90 प्रतिशत एशिया और अफ्रीका में मौजूद है। बालश्रम खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक परिमाण में मौजूद है। इसलिए कि वहां बच्चों को स्कूल भेजने की क्षमता एवं कार्य दोनो का अभाव देखने को मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे अधिकतम घंटे तक काम करते हैं, और उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। (बेकले एण्ड ब्याडेन 1988)

भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार 1991 में 5 से 14 वर्ष आयु वाले 11.3 मिलियन काम काजी बच्चे थे, जो बढ़कर 2001 में 12.26 मिलियन हो गया। आंकड़े बताते हैं कि एशिया में सबसे ज्यादा 144 मिलियन बालश्रमिक भारत में है, जबकि पाकिस्तान में 10 से 14 वर्ष की आयु वाले 10 प्रतिशत कामकाजी हैं।(आई0 एल0 ओ0 1992) युनेस्को ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सबके लिये शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाल मजदूरी है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (यूनीसेफ) द्वारा 2005 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 24.6 करोड़ बच्चे किसी न किसी प्रकार के श्रम करने के लिए मजबूर हैं। इनमें से 15.02 करोड़ एशिया, 2.6 करोड़ अफ्रीका तथा शेष 1.8 करोड़ बाल श्रमिक लैटिन अमेरीकी देशों में व अन्य देशों में मौजूद हैं। बाल श्रम यानी बालकों का शोषण, मानवाधिकारों का अल्लंघन है। विश्व के हर बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि वह जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताओं को प्राप्त करे, परन्तु अनेकों अनेक संवैधानिक प्रयासों के बावजूद आज भी बालश्रम की समस्या बनी हुई है।

बालश्रम के लिये जिम्मेवार कारणें में से निःसन्देह गरीबी एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन गरीबी अकेला कारण नहीं है, और न ही यह बालश्रम का एक पर्याप्त व्याख्यात्मक तत्व है। महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं–

1. **गरीबी** :– गरीबी, जो विकासशील देशों में व्यापक रूप से फैली हुई है, इस समस्या की जड़ है। योजनावद्ध विकास की लम्बी यात्रा तय करने के पश्चात् भी भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का तादाद सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 26 प्रतिशत है। एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के देशों में बाल श्रमिकों की अधिकता का मूल कारण गरीबी ही है। झारखण्ड भारतीय गणराज्य का 28 वां राज्य है, एवं जिसकी कोख में अमीरी है एवं गोद में गरीबी है, वहां की चालीस प्रतिशत जनता अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करती है। मध्यप्रदेश के बाद यह दूसरा राज्य है जहां एक तिहाई बच्चे कुपोषित हैं। औरतों की रक्ताल्पता (एनीमियॉं) के मामले में भी झरखण्ड की स्थिति बदतर है। 2011 की जनगनणा के अनुसार झारखण्ड के 92 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है। प्रस्तुत शोध का क्षेत्र झारखण्ड का अत्यन्त पिछड़ा प्रमण्डल संथाल परगना का एक जिला देवघर है। इस जिले के गामीण हिस्सों में करीब 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। खेती मुख्य आजीविका है। झारखण्ड में कुल कृषि क्षेत्र का 23 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। लेकिन देवघर जिले के कुल कृषि क्षेत्र का मात्र 10 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। सिंचाई के अभाव में अधिकांश खेत एक फसली है। कृषि के अलावे आजीविका का कोई दूसरा स्थायी विकल्प नहीं है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार एवं शोषण चरम सीमा पर है। परिणाम गरीबी, और पलायन बड़े पैमाने पर मौजूद है। यह स्थिति गरीब

मां–बाप को अपने बच्चे – बच्चियों को स्कूल न भेजने को मजबूर करती है। परिवार की आय में वृद्धि को ध्यान में रखकर बच्चे–बच्चियों से विभिन्न तरह के काम लेना शुरू करते हैं।

सूक्ष्म विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि बाल श्रम की उत्पत्ति विभिन्न कारणों एवं परिस्थितियों से होती है। हाल के अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि मां–बाप अपने बच्चों को काम पर बाहर नहीं भेजेंगे, यदि गैर बालश्रम से प्राप्त परिवार की आय पारिवारिक खर्च हेतु पूर्णतः प्र्याप्त है। (वसु एण्ड वान, 1998) इस प्रकार दीर्घकालिक गरीबी बाल श्रम का मुख्य कारण है।

2 **अन्य सामाजिक आर्थिक कारण :–** अन्य सामाजिक आर्थिक कारणों में खाद्य सुरक्षा, किशोर शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा, प्रजनन दर, परिवार का आकार, युवा मजदूरी दर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधिकरण एवं स्त्री श्रम सहभागिता दर प्रमुख हैं। (देव एण्ड रवि, 2002) देव एण्ड रवि अपने अपने आलेख में बालश्रम, स्कूली शिक्षा एवं अन्य सामाजिक आर्थिक अवयवों में देश के दक्षिणी भागों के राज्यों से लेकर जिला स्तर पर संबंधों की विवेचना करते हैं, जबकि 'लेकलर्क दसीं बात की व्याख्या उत्तरी राज्य के संदर्भ में करते हैं। गंबर एवं गुप्ता अपने आलेख में घरेलू आय, खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा को बच्चों की कार्य स्थिति से जोड़ते हैं।

3 **खाद्य असुरक्षा** :– बालश्रम की मौजूदगी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण खाद्य असुरक्षा भी है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब सभी व्यक्तियों को सभी समय जब उनकी आहार आवश्यकताओं के अनुरूप शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक उनकी मौलिक एवं आर्थिक पहुँच नहीं होती है। (एफ0 ए0 ओ0, 1999) खाद्य असुरक्षा के विभिन्न आयाम हैं, जिनका संबंध जनसंख्या, पोषण, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से होते हैं। खाद्य असुरक्षा एवं खाद्य असुरक्षा के स्तर एवं इसका दबाव बाल श्रम के लिए उत्तरदायी होते हैं। भूख, खाद्य असुरक्षा चाहे सामयिक हो या स्थायी, गरीबी का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। परिवार और व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, वे खाद्य असुरक्षा के शिकार होते हैं। जो परिवार या व्यक्ति इस स्थिति मे होते हैं, वहां लिंग संबंधी असमानता भी पायी जाती है। बालिका बालश्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हेतु आयोजित सर्वेक्षण से यह तथ्य भी उभर कर सामने आया कि लड़के और लड़कियों में मां–बाप विभेद करते हैं। गरीब मां–बाप भी लड़के को प्राथमिकता देते हैं। लड़कियाँ उपेक्षित रहती हैं। उन्हें स्कूल भेजने के बजाय उनसे विभिन्न तरह के घरेलू कार्य लिये जाते हैं। जरूरत पड़ने पर लड़कियों से मवेशियों को पालने–पोषने संबंधी कार्य में एवं छोट–मोटे खेती के कार्यों में भी लगाते हैं। देवघर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के बालिका बालश्रमिक वृहद् पैमाने पर मौजूद दिखती हैं।

झारखण्ड में देश के दूसरे नम्बर पर सबसे कुपोषित बच्चे हैं। (55 फीसदी) पांच वर्ष के नीचे के लगभग 22 लाख बच्चे हैं, जिनका बजन कम है। हर साल 8 लाख बच्चे झारखण्ड में पैदा होते हैं। इनमें से 20,800 नवजात शिशु अगले महीने ही मर जाते हैं। और एक साल पूरा होने के बाद 29,600 बच्चे गुजर जाते है। (जनगणना 2011) कुपोषित बच्चों में बच्चियों का अनुपात ज्यादा पाया जाता है। यह लिंग विभेद का द्योतक है। और बालिका बाल श्रम की मौजूदगी के पीछे खाद्य असुरक्षा के साथ–साथ लड़कियों को स्कूल भेजने के प्रति मां–बाप की उदासीनता भी एक कारण है।

4. **नियोजकों का निहित स्वार्थ :–** बालश्रमिक रूपी अभिशाप के पीछे गरीबी, खाद्य असुरक्षा जैसे कारण तो हैं ही, लेकिन एक कारण नियोजकों का स्वार्थ भी है और यही स्वार्थ बालकों के शोषण का कारण बनता है। वयस्क मजदूरों की तुलना में बालश्रमिक चाहे वे लड़के हों या लड़कियां , अधिक सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं तथा इनका शोषण भी अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि इनमें विरोध, आन्देलन तथा हड़ताल की संभावना नगन्य रहती है तथा इनसे कम मजदूरी पर मनमाना काम लिया जा सकता है। बालिका बालश्रमिक और सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ उद्योगों, जैसे बीड़ी उद्योग, जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक संख्यां में काम करती हैं। केरल और तमिलनाडु में 7 हजार श्रमिक बीड़ी बनाते हैं। इनमें ज्यादा तर लड़कियां हैं, जो ठेके पर देर रात तक काम करती हैं। (कुरूक्षेत्र, नवंबर 2007) इसी प्रकार माचिस एवं आतिशवाजी

उद्योग, पत्थर खनन उद्योग, मत्स्य पालन उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, ताला उद्योग, कांच उद्योग, एवं रत्न पॉलिस उद्योग में बालक एवं बालिकायें बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं।

देवघर जिले में बीड़ी निर्माण में लगे उद्योगों की संख्यां- 22 है। जिनमे कुल 4897 श्रमिक कार्यरत हैं इन उद्योगों में कार्यरत बालिका बालश्रमिकों की संख्यां-761 है।

5 **पारिवारिक सामंजस्य का अभाव :–** यह बालश्रम का सामाजिक कारण है। जब परिवार में सामन्जस्य या एकता का अभाव रहता है तो परिवार मानसिक रूप से निर्धन और गरीब हो जाता है। निरन्तर कलह का बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। उनमें असंतेष की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे में अज्ञानता वश अधिक सुखद भविष्य की लालसा में घर त्याग कर बच्चे बालश्रमिक बन जाते हैं। झारखण्ड में नावालिग लड़कियां, खास कर आदिवासी लड़कियों का बड़े पैमाने पर ट्रैफिकिंग इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि रोज दिन के कलह एवं किच–किच से निजात पाने के लिए भोली–भाली आदिवासी लड़कियां बालश्रम के लिये मजबूर होती हैं। उन्हें बाल तस्कर शहरों में बेच देते हैं, जहां उनसे शारीरिक श्रम तो लिया ही जाता है और साथ ही शारीरिक शोषण का शिकार भी होती हैं।

6 **परम्परागत व्यवसाय** :– आज भी भारत के गांवों में परम्परागत व्यवसाय, भले ही अधोगति पर है, लेकिन प्रचलन में है। मसलन के तौर पर सोनार, लोहार, कुम्भकार, कर्मकार, के घरों में परम्परागत व्यवसाय आज भी कार्यशील हैं। ये व्यवसाय घर के सदस्यों के सहयोग से ही चलाये जाते हैं। वंशानुगत होने के चलते इनमें घरों के छोटे–छोटे बच्चे–बच्चियां भी संलग्न हो जाते हैं और इसी बहाने स्कूल जाना बंद कर देते हैं। बालश्रम का एक कारण यह भी है।

7 **बढ़ता औद्योगीकरण :–** औद्योगीकरण की तीव्र रफ्तार के कारण आज छोटे–छोटे शहरों में भी बहुतेरे उद्योग पनप रहें हैं। उन छोटे शहरों के इर्द–गीर्द बसे गांव एवं उस शहर की झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले निर्धनतम घर के बच्चे–बच्चियां घर परिवार की भयावह गरीबी से तंग आकर चंद पैसों की पगार में, पेट भरने के खातिर स्कूल ना जाकर इन उद्योगों की ओर रूझाान कर लेते हैं।

8 **अविभावकों की मानसिकता** :– गरीबी बालश्रम का एक प्रमुख एवं सर्वव्यापी कारण है। यह एक स्थापित सत्य भी है, लेकिन इसके इतर भी एक कारण है, जो इस शोध पत्र के अघ्ययन क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण के दौरान उभर कर सामने आया है। सर्वेक्षण हेतु 300 का सैंपुल लिया गया है। इस सैम्पुल के पन्द्रह प्रतिशत लोगों की मानसिकता शेष 85 प्रतिशत लोगों से अलग पाया गया था। 15 प्रतिशत मां–बाप गरीबी और जहालत की जिन्दगी में भी अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजना पसंद करते हैं। जबकि 85 प्रतिशत मां–बाप घरेलू खर्च की आपूर्ति हेतु बच्चे–बच्चियों से या तो घर में श्रम लेते हैं या बाहर काम पर भेजते हैं। यह एक ऐसा कारक है, जो बालश्रम की समस्या के लिये गरीबी को एक मात्र कारण मानने से इनकार करता है।

निष्कर्ष

हमारे यहाँ लड़कियाँ सदा अनचाही औलाद रही है। कभी उनके जन्म का स्वागत नहीं किया जाता और परिवार तथा समाज में व्यापक रूप में असमानताओं के अंतर्गत उनका लालन–पालन होता है। अकसर लड़कियाँ वंचित, अल्पशोषित तथा उपेक्षित रहती है व उनसे अधिक काम कराया जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढ़ने पर अधिकांश बालिकाएँ अपने श्रम को बेचकर पारिवारीक आय में अपना योगदान देती है। बड़े शहरों तथा नगरों में प्रवासि कर्जदार परिवारों की लड़कियों के बीच यह तसवीर आम देखी जा सकती है। परिवार का आकार गरीबी, कर्ज तथा अशिक्षा जैसे सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकी कारक गरीब परिवारों के बच्चों को श्रम शक्ति में भागीदार बनने के लिए मजबूत करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(1) बेकले, ए0 एण्ड जे0 ब्यॉडेन, 1988 "वर्किंग चिल्ड्रेन करेन्ट ट्रेन्ड्स एण्ड पॉलिसी रेसपोस्नेस" इन्टरनेशनल लेवर रिव्यू 127, 2:153–171
(2) वेनर, एन0 1991 द चाईल्ड एण्ड स्टेट इन इण्डिया, प्रिंष्टन **न्यूजर्सी.... प्रिस्टन यूनिभरसिटि प्रेस**
(3) आई0 ल0ओ0 (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय–1992, वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट, 1992, जेनेवा
(4) युनिसेफ, रिपोर्ट 2005
(5) एस0 महेन्द्र देव एण्ड सी0 रवि, फूर सिक्यूरिटि एण्ड चाइल्ड वर्क इन साउथ इण्डिया, डेटरमिनेन्ट्स एण्ड पॉलिसीज, पब्लिस्ड इन 'कमिंग टू ग्रिप्स रूरल चाइल्ड वर्क : ए फूड सिक्यूरिटि एप्रोच, 2002, नई दिल्ली।
(6) कुरूक्षेत्र वर्ष 54 अंक – 1, नवम्बर, 2007, पृष्ठ संख्या–11
(7) एन0एस0एस0ओ0 डाट और बाल श्रम 12वीं योजना के कार्यकारी समूह का प्रतिवेदन।
(8) जनगणना, 2011
(9) तिव्रतर सतत एवं अधिकतर समावेसी विकास, एन0 एप्रोच पेपर टू टूवेल्भथ फाईवर ईयर प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्लानिंग कमिशन, अक्टुबर, 2011
(10) एन0एस0एस0ओ0, 61वां चक्र, प्रतिवेदन संख्या 515 (61/10/1)